

न्यायालय:- गिरीश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प.नि. खरगोन मध्यप्रदेश
कमांक 232/आप./2025 खरगोन, दि.27/02/2025

आदेश

मैं गिरीश शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.) इस आदेश द्वारा न्यायिक जिला मण्डलेश्वर में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को माह मार्च-2025 में आने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाशों में न्यायिक कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिए अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन करेंगे।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	माह	रिमांड ड्यूटी दिनांक
1	श्री रोहित कुमार जेएमएफसी खरगोन	मार्च	14
2	श्रीमती सविता वर्मा जेएमएफसी खरगोन	मार्च	15, 16
3	श्री राज पांडे जेएमएफसी खरगोन	मार्च	1, 2
4	सुश्री प्रियंवदा शुक्ला जेएमएफसी खरगोन	मार्च	19, 23
5	श्रीमती प्रियंका दांगी जेएमएफसी, खरगोन	मार्च	9, 30, 31
6	श्री राजेंद्र कुमार अहिरवार जेएमएफसी भीकनगांव	मार्च	1, 2, 14, 15, 16
7	सुश्री साक्षी शुक्ला जेएमएफसी भीकनगांव	मार्च	9, 19, 23, 30, 31
8	श्री महेन्द्र सिंह जेएमएफसी मण्डलेश्वर	मार्च	9, 19, 23, 30, 31
9	सुश्री शिवांगनी भट्ट जेएमएफसी मण्डलेश्वर	मार्च	1, 2, 14, 15, 16
10	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा जेएमएफसी महेश्वर	मार्च	1, 2, 14, 15, 16
11	सुश्री याशमी अग्रवाल जेएमएफसी महेश्वर	मार्च	9, 19, 23, 30, 31
12	श्री विवेक जैन जेएमएफसी कसरावद	मार्च	1, 2, 9, 15, 16
13	सुश्री इतीशा सांघवी जेएमएफसी कसरावद	मार्च	14, 19, 23, 30, 31
14	सुश्री विकसीता मरकाम	मार्च	14, 15, 16

	जेएमएफसी, बडवाह		
15	श्रीमती आरती सिंह, जेएमएफसी, बडवाह	मार्च	1, 2, 9
16	श्री मुकेश कुमार कौरी जेएमएफसी, बडवाह	मार्च	23, 19, 30, 31
17	सुश्री पूर्वी तिवारी जेएमएफसी, सनावद	मार्च	9, 19, 14, 15, 16
18	श्री योगेश चालीसा जेएमएफसी, सनावद	मार्च	1, 2, 23, 30, 31

नोट:-

- 1- जहाँ एक से अधिक न्यायिक अधिकारी हों, वे आपस में लिखित में सहमति बनाकर रिमांड ड्यूटी परिवर्तित करने की लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजेंगे तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति के उपरांत ही रिमांड ड्यूटी परिवर्तित मानी जायेगी।
- 2- यदि किसी न्यायिक अधिकारी को, जिसकी रिमांड ड्यूटी लगी है तथा उसे अपरिहार्य कारणवश अवकाश में जाना आवश्यक है तो आगामी तिथी पर रिमांड करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प. निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजकर अनुमति प्राप्त होने पर ही अवकाश का उपभोग करेंगे।
- 3- माह में यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो खरगोन मुख्यालय पर - श्री राज पांडे जेएमएफसी खरगोन, मण्डलेश्वर मुख्यालय पर - सुश्री शिवांगनी भट्ट जेएमएफसी मण्डलेश्वर, कसरावद मुख्यालय पर - सुश्री इतीशा सांघवी, जेएमएफसी कसरावद, बडवाह मुख्यालय पर - श्रीमती विकसीता मरकाम, जेएमएफसी बडवाह एवं सनावद मुख्यालय पर - श्री योगेश चालीसा, जेएमएफसी सनावद रिमांड का कार्य संपादित करेंगे। अवकाश पर रहने वाले अधिकारी का कार्य प्रभार में आने वाले अधिकारी संपन्न करेंगे।
- 4- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो ऐसे अधिकारी का प्रभार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- 5- यदि रिमांड ड्यूटी हेतु निर्धारित तिथियों में अपेक्षित कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी अधिरोपित होती है तो रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुचारु रूप से प्रोटोकॉल ड्यूटी निष्पादन में भी आवश्यक सहयोग किया जावेगा।

गिरीश कुमार शर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 232-आप./2025
प्रतिलिपि:-

खरगोन, दिनांक 27/02/2025

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्रीमान् कलेक्टर, खरगोन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, खरगोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि रिमांड ड्यूटी आदेश से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- श्री..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी खरगोन/भीकनगॉव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर/महेश्वर/कसरावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- अध्यक्ष अभिषाषक संघ, खरगोन/भीकनगॉव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर, महेश्वर/कसरावद की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

गिरीश कुमार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)
27/02/2025

